भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 218*

जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026/24 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है।

रासायनिक उर्वरकों की कमी

218*. श्री वीरेन्द्र सिंह:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की कमी के कारण कृषि कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको), जो किसानों का उर्वरकों के लिए सबसे पसंदीदा और विश्वसनीय स्रोत है, वर्तमान में उर्वरकों की कम आपूर्ति कर रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इफको द्वारा उर्वरकों के उत्पादन में कोई गिरावट दर्ज की गई है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ड.) क्या सरकार ने किसानों की मांग के अनुसार इफको उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष कार्य योजना तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'रासायनिक उर्वरकों की कमी' के संबंध में श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा पूछे गए दिनांक 13.02.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 218* के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

(क): खरीफ 2025 और चल रहे रबी मौसम 2025-26 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सहित सभी राज्यों में उर्वरकों अर्थात यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की उपलब्धता पर्याप्त रही है। उक्त मौसमों के दौरान इन उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री के संबंध में राज्य-वार जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ख) से (घ): पिछले दो वर्षों के दौरान इफको के विभिन्न संयंत्रों द्वारा उत्पादित उर्वरकों की मात्रा का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कंपनी का नाम	उर्वरक उत्पादन इकाई का नाम/अवस्थिति	उत्पादित उर्वरक का प्रकार	उत्पादन आंकड़े 'एलएमटी में'	
				2023-24	2024-25
1	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉआपरेटिव लिमिटेड (इफको)	इफको: कांडला	डीएपी तथा मिश्रित	18.90	22.79
2		इफको: कलोल	यूरिया	6.19	6.03
3		इफको: पारादीप	डीएपी तथा मिश्रित	21.17	22.13
4		इफको: फूलपुर-I	यूरिया	7.05	7.65
5		इफको: फूलपुर -II	यूरिया	12.00	10.71
6		इफको: आंवला-I	यूरिया	12.26	11.35
7		इफको: आंवला-II	यूरिया	11.36	12.44
			कुल	**88.93**	**93.10**

इफको से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल-जनवरी के दौरान इफको की सभी इकाइयों द्वारा 41,24,000 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन किया गया, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल-जनवरी की इसी अवधि के दौरान 40,66,000 मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया था। इसलिए, उर्वरक विभाग द्वारा इफको को सौंपे गए यूरिया के समग्र उत्पादन/आपूर्ति लक्ष्य की तुलना में इफको द्वारा किए गए उर्वरक उत्पादन और आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई है।

यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में

रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामतः गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमशः उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा दक्ष हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अतः, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान रही 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 283.74 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जेवीसी नामतः तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित की गई है। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप, असम के मौजूदा परिसर के भीतर 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता के एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसें असम वैली फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल कंपनी लिमिटेड (एवीएफसीसीएल) के नाम से जाना जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को आरएसी से अधिक करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)–2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से यूरिया का उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान हुए वार्षिक उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटीपीए बढ़ा है।

उपर्युक्त सभी उपायों से रिकार्ड यूरिया उत्पादन हुआ है, जो वर्ष 2014-15 के दौरान 225 एलएमटी प्रतिवर्ष था वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 314.07 एलएमटी हो गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान देश में 306.67 एलएमटी यूरिया का उत्पादन हुआ है।

इसके अलावा, सरकार ने 01.04.2010 से फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरकों को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किया गया है और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

उर्वरकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने तथा इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) उर्वरक विभाग ने एमआरपी की तर्कसंगतता सुनिश्चित करने और घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 18.01.2024 को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(ii) अनुरोधों के आधार पर, नई उत्पादन इकाइयों अथवा मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को एनबीएस स्कीम के अंतर्गत मान्यता दी गई है/संज्ञान में लिया गया है।

(iii) एनबीएस नीति के तहत शामिल किए गए पीएंडके उर्वरकों की संख्या 2021 की 22 ग्रेड से बढ़कर अब 28 ग्रेड हो गई है।

(iv) मृदा को फॉस्फेट या 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने के लिए एसएसपी जो एक स्वदेशी रूप से निर्मित उर्वरक है, के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खरीफ, 2022 से एसएसपी पर मालभाड़ा सब्सिडी को मंजूरी दी गई है।

(ङ.): देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

(ii) डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(iii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

(v) राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, खरीफ 2025 और चल रहे रबी मौसम 2025-26 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सहित सभी राज्यों में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी।

अनुलग्नक

'रासायनिक उर्वरकों की कमी' के संबंध में दिनांक 13.02.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.218* के उत्तर से संबंधित है।

चल रहे रबी 2025-26 (08.02.26 तक) के दौरान उर्वरकों की राज्य-वार आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
क्र.सं.	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	7.20	8.98	7.63	1.99	3.49	2.63	0.74	1.17	0.67	7.93	10.97	7.52
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.22	1.78	1.46	0.22	0.64	0.35	0.29	0.31	0.13	0.27	0.29	0.16
5	बिहार	11.30	13.01	11.49	3.64	5.57	4.11	1.41	1.67	1.23	3.37	5.27	3.20
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	2.66	3.06	1.60	0.97	1.83	0.80	0.41	0.49	0.09	0.51	1.33	0.24
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.12	0.11	0.09	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11	गोवा	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
12	गुजरात	11.60	12.74	11.33	2.47	3.10	2.43	0.55	0.71	0.46	3.91	4.80	3.13
13	हरियाणा	10.23	12.21	10.59	2.61	3.21	2.42	0.21	0.32	0.11	1.03	0.50	0.23
14	हिमाचल प्रदेश	0.30	0.51	0.34	0.01	0.03	0.02	0.03	0.02	0.01	0.24	0.22	0.13
15	जम्मू और कश्मीर	0.33	0.73	0.37	0.16	0.34	0.14	0.04	0.12	0.01	0.01	0.01	0.00
16	झारखंड	0.94	1.36	0.91	0.25	0.55	0.39	0.02	0.04	0.01	0.25	0.43	0.20
17	कर्नाटक	5.46	8.17	4.99	1.52	2.93	1.64	0.71	1.38	0.69	5.29	10.95	5.48
18	केरल	0.51	0.56	0.42	0.07	0.16	0.08	0.40	0.47	0.31	0.51	0.80	0.53
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	22.57	24.94	22.50	7.07	6.97	5.52	0.83	0.95	0.53	10.64	7.54	4.87
21	महाराष्ट्र	8.58	12.61	8.57	2.08	3.88	2.02	1.12	1.50	0.69	9.57	17.64	8.26
22	मणिपुर	0.07	0.07	0.05	0.01	0.02	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00
23	मेघालय	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	1.16	2.28	0.96	0.52	1.19	0.43	0.17	0.36	0.10	0.57	1.41	0.39
27	पुदुचेरी	0.06	0.06	0.05	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.04	0.05	0.03
28	पंजाब	13.29	16.42	13.14	4.33	5.47	3.78	0.43	0.63	0.24	1.41	0.95	0.58
29	राजस्थान	14.14	17.81	15.95	3.24	4.32	3.56	0.09	0.14	0.08	1.43	1.70	1.12
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	5.14	6.27	4.95	1.29	1.90	1.29	1.43	1.26	0.83	4.14	5.73	3.83
32	तेलंगाना	7.66	8.86	7.92	1.21	2.31	1.83	0.48	0.84	0.31	5.11	7.68	4.77
33	त्रिपुरा	0.06	0.11	0.04	0.01	0.02	0.01	0.03	0.03	0.01	0.01	0.03	0.01
34	उत्तराखंड	0.77	1.05	0.86	0.10	0.37	0.20	0.04	0.06	0.02	0.16	0.11	0.07
35	उत्तर प्रदेश	34.43	43.00	35.41	13.57	15.93	11.01	1.23	1.98	1.13	7.07	10.01	5.93
36	पश्चिम बंगाल	6.20	9.14	6.14	1.58	2.69	1.73	1.74	1.91	1.10	5.80	9.31	5.40
	अखिल भारत	**166.02**	**205.88**	**167.82**	**48.97**	**66.96**	**46.44**	**12.43**	**16.39**	**8.80**	**69.33**	**97.75**	**56.09**

खरीफ 2025 के दौरान उर्वरकों की राज्य-वार आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
क्र.सं.	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	6.22	8.71	7.50	2.60	3.43	2.56	0.70	1.33	0.87	6.30	9.35	6.45
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.70	2.68	2.34	0.28	0.52	0.27	0.21	0.41	0.27	0.23	0.36	0.19
5	बिहार	10.32	12.47	10.74	2.20	3.62	1.91	0.50	1.09	0.40	2.50	4.74	2.31
6	चंडीगढ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	7.12	7.87	7.25	3.10	2.52	2.13	0.60	0.84	0.68	1.80	2.48	2.19
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.11	0.12	0.10	0.02	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.02
12	गुजरात	11.12	11.83	10.04	3.40	3.18	2.41	0.45	0.71	0.39	2.95	5.93	4.34
13	हरियाणा	10.07	13.33	11.31	2.83	3.60	2.76	0.28	0.53	0.29	0.37	0.95	0.58
14	हिमाचल प्रदेश	0.33	0.55	0.36	0.01	0.04	0.03	0.00	0.02	0.01	0.15	0.20	0.11
15	जम्मू और कश्मीर	0.78	1.25	0.91	0.22	0.25	0.21	0.08	0.15	0.12	0.01	0.02	0.02
16	झारखंड	1.70	2.23	1.91	0.55	0.71	0.46	0.05	0.06	0.03	0.35	0.75	0.51
17	कर्नाटक	11.17	12.63	11.07	4.00	4.77	3.60	1.30	2.08	1.48	9.90	17.46	13.68
18	केरल	0.52	0.73	0.59	0.12	0.18	0.11	0.40	0.57	0.47	0.69	0.89	0.64
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	17.42	21.24	18.26	7.50	7.41	5.47	0.50	0.81	0.49	5.00	8.79	6.07
21	महाराष्ट्र	15.52	19.11	15.72	4.60	4.66	3.10	1.20	2.39	1.59	18.00	25.29	18.79
22	मणिपुर	0.11	0.13	0.12	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01
23	मेघालय	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.07	0.10	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	4.30	5.86	5.30	2.00	2.32	1.96	0.60	0.69	0.53	2.40	3.30	2.75
27	पुदुचेरी	0.07	0.08	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.05	0.04
28	पंजाब	14.92	19.19	15.94	2.85	3.86	2.36	0.50	0.70	0.32	0.50	1.27	0.66
29	राजस्थान	10.52	14.36	11.20	5.10	5.04	4.04	0.10	0.17	0.08	1.50	2.43	1.39
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	4.37	6.07	5.06	1.40	2.01	1.29	0.80	1.33	0.96	4.11	5.50	3.91
32	तेलंगाना	9.80	10.28	9.79	2.40	2.88	2.38	0.55	0.81	0.44	10.00	11.19	8.97
33	त्रिपुरा	0.08	0.16	0.09	0.02	0.03	0.02	0.01	0.03	0.01	0.03	0.02	0.01
34	उत्तराखंड	1.00	1.35	1.16	0.15	0.38	0.23	0.02	0.07	0.02	0.15	0.13	0.09
35	उत्तर प्रदेश	39.92	48.93	40.24	10.00	12.45	7.70	1.25	1.64	0.65	5.00	8.36	3.64
36	पश्चिम बंगाल	6.10	9.18	6.00	1.60	2.46	1.28	1.00	1.59	0.81	4.10	7.58	4.13
	अखिल भारत	**185.39**	**230.51**	**193.21**	**56.99**	**66.38**	**46.33**	**11.13**	**18.08**	**10.94**	**76.11**	**117.09**	**81.49**